न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 38 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मुबारक पुत्र जुम्मा उम्र 45 वर्ष
2. श्रीमती फातमा पत्नी जुम्मा उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी सुकालिया पटवार क्षेत्र बीजराड़ तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.जूणा पुत्र अलाना उम्र 36 वर्ष
2.मूसा खां पुत्र अलाना उम्र 25 वर्ष
3.अली खां पुत्र अलाना उम्र 61 वर्ष
4.श्रीमती जेना पत्नी अलाना उम्र 61 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर (राज.)
5.जीयोंदेवी पत्नी मोडाराम उम्र 51 वर्ष जाति जाट निवासी बीजराड़ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
6.श्रीमती मलूकान पत्नी हुसैन उम्र 41 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बीजराड़ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
7.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौहटन, जिला बाड़मेर।
8.मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चौहटन, जिला बाड़मेर (राज.)

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 508 / 2010 बअनवान मुबारक वगै. बनाम जीयोंदेवी वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07. 2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 की ओर से।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांकः– 19.08.2019

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम सुकालिया तहसील चौहटन में खसरा संख्या 614 रकबा 149.07 बीघा, खसरा संख्या 643 रकबा 07.14 बीघा, खसरा संख्या 652 रकबा 26.03 बीघा, खसरा संख्या 656 रकबा 71.07 बीघा, खसरा संख्या 699 रकबा 42.01 बीघा, खसरा संख्या 721 रकबा 80.03 बीघा कुल रकबा 376.15 बीघा भूमि आई हुई है, जिसमें अपीलांट संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा और उतरदाता संख्या 01 से 04 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में है। ग्राम बीजराड़ तहसील चौहटन के खेत खसरा संख्या 574 रकबा 40.01 बीघा, खसरा संख्या 735 रकबा 18.16 बीघा कुल रकबा 58.17 बीघा आये हुये है। इसमें अपीलांट संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा और उतरदाता संख्या 01 से 04 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में है, किन्तु उतरदाता संख्या 01 जूणा व उतरदाता संख्या 04 श्रीमती जेना ने अपने 1/8–1/8 हिस्सा यानि 1/4 हिस्सा भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 95 श्रीमती जीयोंदेवी को कर दिया है और उतरदाता संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा खातेदारी में शेष रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2017 को न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प कोर्ट बीजराड़ में पेश हुई और दोनों वादों को सामायोजित किया गया। उस समय अपीलांट उपस्थित नहीं थे और न अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित थे। केवल उतरदाता संख्या 05 श्रीमती जीयोंदवी उपस्थित थी और उतरदाता संख्या 06 से 08 की तलबी पूर्ण नहीं हुई थी और एकतरफा निर्णय कर एकतरफा प्रारम्भि डिक्री जारी कर दी गई और बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार चौहटन से तलब कर चार दिनों पश्चात पेशी तारीख दिनांक 14.07.2017 को रखी गई एवं अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08 ने जरिये आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 पक्षकार बनने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर प्रार्थीगणों को रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08 के रूप में संयोजित किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा दिनांक 19.08.2019 को हो गया है जिससे इनके मध्य जो अपील पेश करते समय विवाद था वो खत्म हो गया है तथा लिखित में राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया है उस अनुसार न्यायालय आदेश पारित करता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं होगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 19.08.2019 को जो लिखित राजीनामा लोक अदालत की भवना से किया गया है उसके अनुसार न्यायालय विधि सम्मत निर्णय पारित करे जिससे रोजाना के लिए पक्षकारों के मध्य का विवाद खत्म हो जाये। लिखित राजीनामा राजीखुशी एवं अपनी मर्जी से किया गया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा पर मनन किया।

मुताबिक राजीनाम अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय दिनांक 14.07.2017 में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किया जाता है:-

"ग्राम सुकालिया के खसरा संख्या 1246/643, 1243/614, 1249/656, 1251/699 व बीजराड़ के खसरा संख्या 574, 735 का नवीन प्रस्तावित नक्शा वादी व प्रतिवादी एवं मौतबरान के रूबरू आपसी सहमती से प्रस्तावित संशोधित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	रंग
01	जुणा, मुसा, अलीखान पिता अलाना जैना पत्नी अलाना मुसलमान	सुकालिया	1246/643	01.00 बीघा	हरा
		बीजराड़	574	15.07 बीघा	
			735	14.02 बीघा	
			कुल रकबा	30.09 बीघा	
02	मुबारक वल्द जुमा, फातमा पत्नी जुमा कौम मुसलमान	सुकालिया	1243/643	13.16 बीघा	केशरिया
			1249/656	01.00 बीघा	
			1251/699	15.13 बीघा	
			कुल रकबा	30.09 बीघा	

तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त संशोधन अनुसार अमल दरामद करते हुए मुताबिक संलग्न नक्शा पुख्ता तरमीम कर पालना से अवगत करावे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

।। श्री ।।

सेवामें,

श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय

बाड़मेर

अपीलाण्टगण	**ब ना म**	**उत्तरदातागण**
मुबारक एवं अन्य		जूणा एवं अन्य

presented by both parties together with their Advocates..
Reader
19/8/19

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अधि.

राजस्व अपील संख्या : 38/2019

राजीनामा

महोदयजी,

निवेदन अपीलाण्टगण व उत्तरदातागण संख्या 1 से 4 की ओर से निम्नानुसार है :-

1. कि हम पक्षकारान के मध्य श्रीमान न्यायालयश्री के समक्ष एक अपील विचाराधीन है, जिसमें हमारे परिवार के शुभचिंतको, रिश्तेदारों व गांव के मौजीज व्यक्तियों ने आपस में बिठाकर राजीनामा करवा दिया है तथा हम पक्षकारा निम्नानुसार भूमि बंटवाड़ा पर सहमत है।
2. कि ग्राम-सुकालिया के खेत खसरा संख्या 1243/614 रकबा 40-00 बीघा में से 13-16 बीघा भूमि अपीलाण्टगण के हिस्से में रखी गई है, जो संलग्न नजरी नक्शा में बरंग केसरिया से दर्शित की गई है। उपरोक्त खसरे में शेष रही 26-04 बीघा भूमि उत्तरदाता संख्या 1 से 04 के हिस्से में पूर्व आदेशानुसार रहेगी, जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शित की गई है।
3. कि ग्राम-सुकालिया के खेत खसरा संख्या 1243/614 रकबा 13-16 बीघा, खसरा संख्या 1249/656 रकबा 01-00 बीघा, खसरा संख्या 1251/699 रकबा 15-13 बीघा, कुल रकबा 30-09 बीघा भूमि अपीलाण्टगण के बंट में रखी गई है, जो संलग्न नक्शा में बरंग केसरिया से दर्शित की गई है।
4. कि ग्राम-सुकालिया के खेत खसरा संख्या 1246/643 रकबा 01-00 बीघा, उत्तरदातागण संख्या 1 से 4 के बंट में रखी गई है, जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शित की गई है।

मुबारक

Appellants

जोगा

Advo.

5. कि इसी तरह से ग्राम-बीजराड़ के खेत खसरा संख्या 574 रकबा 15-07 बीघा, खसरा संख्या 735 रकबा 14-02 बीघा भूमि उत्तरदातागण संख्या 1 से 4 के बंट में रखी गई है, जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शित की गई है।

6. कि अन्य खसरों की भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय व डिक्री पारित की गई है, उसके मुताबिक रहेगी। जिसके संबंध में दोनों पक्षकारान की सहमति रहेगी तथा भविष्य में कोई भी पक्ष इस बाबत कोई उजर-एतराज पेश नहीं करेगा।

अतः राजीनामा की लिखित पेश कर निवेदन है कि पक्षकारान का राजीनामा स्वीकार कर माफिक राजीनामा अपील डिक्री किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

इति दिनांक : 19-08-2019

मुबारक
Adv.
21-8-2019

जुम्मा

Adv.
(अपीलार्थी)

यह राजीनामा आज दिनांक 19.8.19 को उभय पक्ष के उपस्थित पक्षकारों एवं उनके अभिभाषकों ने मेरे समक्ष पेश किया। अपीलार्थी मुबारक तथा रेस्पो. जुम्मा की पहचान सम्बन्धित वकीलों ने की। उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा उसके संलग्न विभाजन प्रस्ताव नक्शा को पढ़कर सुनाया / समझाया जिसे उभय पक्ष के उपस्थित पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है, विशेषकर अपीलार्थी पक्ष ने। इसलिए राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। संलग्न विभाजन प्रस्ताव नक्शा "परिशिष्ट क" इस राजीनामे का तथा इसके आधार पर किये जाने वाले निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

19/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नवीन प्रस्तावित फर्द मौका

" ग्राम सुकालिया के ख. नं. $\frac{1246}{643}$, $\frac{1243}{614}$, $\frac{1249}{656}$ $\frac{1251}{699}$ व बीजराड़ के ख. नं. 574, 735 का नवीन प्रस्तावित नक्शा वादी व प्रतिवादी एवं मौतबरान के रूबरू आपसी सहमती से प्रस्तावित संशोधित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख. नं.	रकबा	रंग
01.	जुणा, मुसा, अलीखान पि. अलाना जैनाब w/o अलाना मुस.	सुकालिया	$\frac{1246}{643}$	= 1.00	हरा
		बीजराड़	574	= 15.07	
			735	= 14.02	
				30.09	
02.	मुबारक वल्द जुमा फातमा पत्नी जुमा कौम मुसलमान	सुकालिया	$\frac{1243}{614}$	= 13.16	केशरिया
			$\frac{1249}{656}$	= 01.00	
			$\frac{1251}{699}$	= 15.13	
				30.09	

हस्ताक्षर वादी

मुबारक

अ.नि. फातमा

मर्दानमोहम्मद

Verified
[signature] 19/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्ताक्षर प्रतिवादी

जुणा

[signature] A.O.

Reg. 1404

उस्मान

हस्ताक्षर मौतबरान

मामदखान

इस्माईल

सतार

[signature]

Scanned by CamScanner

ॐ

आरेख, नक्शा

फसल जमीनों की सूची मौजा मुकालिया

रकबा = 90 गड़दा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

मुबारक

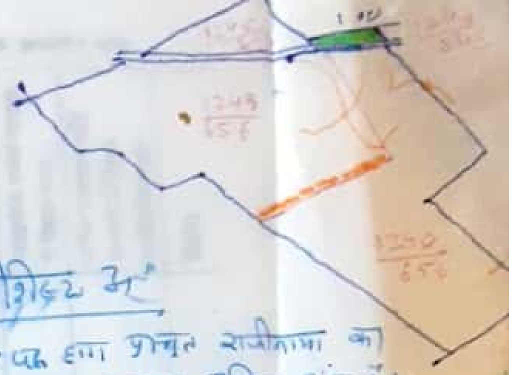

परिशिष्ट अ

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का यह विभाजन प्रस्ताव अभिन्न अंग है। उभय पक्ष द्वारा नक्शे को स्वीकार कर हस्ताक्षर किये जिसे बाद तसदीक प्रमाणित निर्णय किया गया।

13/8/13

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

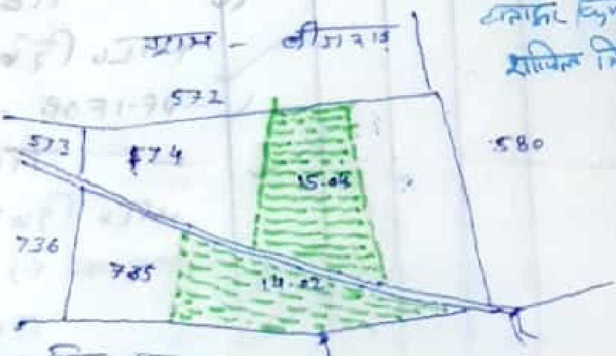

नवीन प्रस्तावित नक्शा

क्रम	नाम	ग्राम	खसरा नं	रकबा	[illegible]
1.	जूणा खाँ	मुकालिया	1246/643	1.00	
				15.07	
		जीजराड़	574		
			735	14.02	
				योग - 30.09	
2.	मुबारक खाँ	मुकालिया	1243/614	13.16	
			1249/656	1.00	
			1251/699	15.13	
				योग - [illegible]	

हस्ताक्षर वादी — हस्ताक्षर प्रतिवादी — हस्ताक्षर मौतबिरान

मुबारक

आनि. फातमा

इस्माईल